2977

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः /सात लाई0 एस–46/आबकारी नीति 2023–24/विज्ञप्ति/ऑ0ला0टै0/2023–24/देहरादूनः दिनांक :मई, 18 .2023

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना 220/XXIII-1/2023/04(03)/2023: देहरादून:दिनांक 22.03.2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में दी गयी व्यवस्था के क्रम में राज्य में अवस्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत कराया गया। व्यवस्थापन पश्चात् अवशेष रह गयी अव्यवस्थापित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में शासनादेश शासनादेश संख्याः 267/XXIII-I/2023/04(03)/2023: देहरादून:दिनांक 20.04.2023 तथा शासनादेश संख्याः 371/XXIII-I/2023/04(03)/2023: देहरादून:दिनांक 17.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांकः 25.05.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि हेतु व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:–

क0सं0	विवरण	स्थान, दिनांक व समय
01	ऑन लाईन ऑफर प्रकाशन की तिथि	दिनांकः 19.05.2023 के पूर्वान्ह 11:00 बजे तक
02	निविदा अभिलेख ई–पोर्टल पर उपलब्धता की समय सीमा	दिनांकः 19.05.2023 पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 24.05.2023 के अपरान्ह 01:00 बजे तक
03	ऑन लाईन ऑफर www.uktenders.gov.in में अपलोड करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांकः 19.05.2023 के पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांकः 24.05.2023 के अपरान्ह 01:00 बजे तक
04	सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांकः 19.05.2023 पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांकः 24.05.2023 के अपरान्ह 02:00 बजे तक
05	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांकः 24.05.2023 के अपरान्ह 03:00बजे सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलैक्टर कार्यालय में
06	तकनीकी निविदा में सफल आवेदकों की सूची अपलोड करने की समय सीमा	दिनांकः 24.05.2023 के अपरान्ह 03:30 बजे से कार्य समाप्ति तक
07	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	दिनांकः 24.05.2023 के अपरान्ह 04:30 बजे से
08	वित्तीय निविदा में सफल आवेदकों की सूची अथवा रिपोर्ट अपलोड करने की समय सीमा	दिनांकः 24.05.2023 के साय 04:55 बजे से
09	निविदा खोलने का स्थान	सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलैक्टर कार्यालय
10	निविदा आमन्त्रित करने वाला अधिकारी	सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलैक्टर

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया वैबसाईट www.uktenders.gov.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों हेतु उक्त वैबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करनी होगी तथा www.uktenders.gov.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा। मदिरा की दुकान के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण (राजस्व इत्यादि) आबकारी विभाग की वैबसाईट www.uttrakhandexcise.org.in पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी तथा मुख्यालय के अपर आबकारी आयुक्त, लाईसेंसिंग (गढ़वाल एवं कुमॉयू मण्डल) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

CS CamScanner

2978-83

संख्याः /सात लाई0 एस–46/आबकारी नीति 2023–24/विज्ञप्ति/ऑ0ला0टै0/2023–24/देहरादूनःःतद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. अपर आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग,मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाईट www.uttrakhandexcise.org.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमॉयू/गढ़वाल मण्डल।
4. उप आबकारी आयुक्त, परिक्षेत्र देहरादून/हरिद्वार एवं नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
5. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर उपरोक्त समयसारणी के अनुसार मदिरा की दुकानों के ऑनलाईन ऑफर हेतु समस्त अभिलेख सन्दर्भित वैबसाईट पर अपलोड करते हुए व्यवस्थापन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं राष्ट्रीय सहारा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सरकारी दर पर न्यूनतम सम्भव स्पेस में अपने सम्मानित समाचार पत्र में दिनांकः 19.05.2023 के अंक में प्रकाशित कराते हुये विज्ञप्ति के बिल की प्रति भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

CamScanner